# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :— 02 / 241 / 2014

<u>प्रभात बनाम बाबू वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.10.2014 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1093 / 2.15, 1094 / 2.46 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 17.11.2014 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 17.11.2014 को वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी को जवाब हेतु कई मौके दिए गए हैं परन्तु उनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2014 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 04 वर्ष का समय हो गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बाद उपस्थिति जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है इसलिए प्रकरण में पूर्व टी.आई. आदेश दिनांक 10.10.2014 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1093 / 2.15, 1094 / 2.46 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 10.10.2014 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)<br>
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)<br>
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)